


17/9
25

पञ्जाबली प्रार्थी सुरेन्द्र सिंह के जरिये
अधिवक्ता के मिलान नकली आवेदन
पर आज पेशदारी उक्त प्रकरण में
प्रार्थी ने मूलकांड को विद्रो करवा लिया
है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 212 RMA का कोई अंशित्य नहीं
है। अतः इसी स्तर पर प्रार्थी का
आवेदन 212 RMA खारिज किया जाना है।
पञ्जाबली के मध्य दुमाद रोड नम्बर 1
कम लीटर दाखिल दस्तावेज है।


पुष्पखण्ड अधिकारी
दातारामगढ़ (सीकर)